-786

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-51/2017-18/12 रा0(विभाग)/मत्स्य, राँची, दिनांक 23.09.2020

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो0 482.7862 लाख (चार करोड़ बिरासी लाख अठहत्तर हजार छ: सौ बीस) रू0 मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 28 रा0 (विभाग) दिनांक 26.09.2019 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1492 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना अंतर्गत कुल मो0 482.7862 लाख (चार करोड़ बिरासी लाख अठहत्तर हजार छ: सौ बीस) रू0 मात्र की अनुमानित लागत पर मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के अन्तर्गत मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु उनका सर्वे, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे।

साथ ही वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण कतिपय अन्य कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्यों को कम करते हुए मात्र 2400 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, 2400 मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 2730 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 25280 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी तथा विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तद्नुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

—785—

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से विभिन्न मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रू0 में)

क्रम0	लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन		बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष उपबंध
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S240500101200109	17.72	17.6960	0.0240
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार	53S240500101200321	33.00	33.0000	0.0000
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500101200323	150.76	73.6020	77.1580
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500101200335	81.57	32.2576	49.3124
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय	53S240500101200759	47.50	28.5000	19.0000
		उप योग :	**330.55**	**185.0556**	**145.4944**
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना।				
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S240500789200109	1.00	1.0000	0.0000
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500789200323	37.33	13.7800	23.5500
3	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500789200335	34.38	12.0200	22.3600
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
4	59 अन्य व्यय	53S240500789200759	11.00	7.4000	3.6000
		उप योग :	**83.71**	**34.2000**	**49.5100**
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना				
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S240500796200109	51.41	21.3880	30.0220
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार/	53S240500796200321	87.50	87.5000	0.0000
3.	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500796200323	139.41	63.0500	76.3600
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500796200335	122.92	51.9326	70.9874
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय	53S240500796200759	74.50	39.6600	34.8400
		उप योग :	**475.74**	**263.5306**	**212.2094**
		सकल योग :	**890.00**	**482.7862**	**407.2138**
तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग-482.7862 लाख रू0 (चार करोड़ बिरासी लाख अटहत्तर हजार छः सौ बीस रू0) मात्र।					

4. (क) मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे करा कर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी जिला मत्स्य कार्यालयों में सुरक्षित रखा जायेगा।

— 784

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु मत्स्य मित्र की तर्ज पर केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) वर्ष 2017-18 के मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 तथा वर्ष 2016-17 के मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 के आलोक में राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ङ•) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 1120 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/मेला/प्रदर्शनी/पोस्टर/पम्पलेट/डॉक्यूमेंटरी फिल्म/बुकलेट/डाटा इण्ट्री/डी0पी0आर0/कंसल्टेंसी तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(ज) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति मत्स्य पालक की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आर0एफ0एफ0 समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरुप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/-रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रुप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स/डीप फ्रिजर के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

5. संबंधित ज़िला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

—783—

6. परिशिष्ट- IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 2400 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/-रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों के तीन दिवसीय कार्यशाला तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1225/-रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/- रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत् व्यय के रुप में 75/- रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणर्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणर्थी 400/- रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों तथा मत्स्य विक्रेताओं के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत् व्यय के रुप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉगा गया संस्थागत् व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत् मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

782

ङ. वर्तमान समय में समस्त विश्व में कोविड-19 की महामारी को देखते हुये सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जायेगा।

7. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत् इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पॉच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रुप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

9. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पॉच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिकी की जायगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु महिलाओं को पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0टी0- बेस्ड कार्यकम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप्प विकसित कराया जायेगा।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची होगें जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

11. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

12. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक कय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकिया के अंतर्गत किया जायेगा।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

-781

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1050.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 517.268 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

16. वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

17. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

19. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

20. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

21. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-

i. विषयगत योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष में व्यय पश्चात् प्राप्त भौतिक उपलब्धि से संतुष्ट होने के उपरांत ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटन निर्गत किया जाय।

ii. किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

23. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 रा0 (डि0ला0) मत्स्य / राँची, दिनांक 23.09.2020

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

780

ज्ञापांक 12 स्था० (विभाग), मत्स्य / रॉची, दिनांक 23.09.2020

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 स्था० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 23.09.2020

प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12 स्था० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 23.09.2020

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय				विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री									विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय-21- प्रचार, प्रसार, सेमिनार	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे		केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपकस्कर, जाल आदि	प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, पोस्टर, पम्पलेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुकलेट, डेटा इन्ट्री, डी0पी0आर0, फोटोग्राफी, कन्सलटेल्सी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	हजारीबाग	1200	0.24	2	2.616	2.50	1.000	403	2.108	6000	0.120	100	0.150	0.500	3.000	1020	2.040	3	0.900	12.674
2	रामगढ़	800	0.16	2	2.616	1.00	0.400	282	1.472	6000	0.120	100	0.150	0.500	3.000	820	1.640	2	0.600	10.658
3	कोडरमा	1000	0.20	2	2.616	1.00	0.400	283	1.508	6000	0.120	100	0.150	0.500	3.000	920	1.840	2	0.600	10.934
4	चतरा	800	0.16	0	0.000	1.00	0.400	312	1.622	4500	0.090	0	0.000	0.500	3.000	820	1.640	2	0.600	8.012
5	बोकारो	1000	0.20	2	2.616	1.50	0.600	362	1.872	6000	0.120	100	0.150	0.500	3.000	920	1.840	3	0.900	11.798
6	गिरिडीह	800	0.16	0	0.000	1.00	0.400	252	1.322	6000	0.120	0	0.000	0.500	3.000	920	1.840	2	0.600	7.942
7	धनबाद	1000	0.20	2	2.616	1.00	0.400	345	1.880	6000	0.120	100	0.150	0.500	3.000	920	1.840	3	0.900	11.606
8	गोड्डा	600	0.12	0	0.000	0.50	0.200	282	1.472	4500	0.090	0	0.000	0.500	3.000	795	1.590	2	0.600	7.572
9	पलामू	1000	0.20	0	0.000	0.50	0.200	342	1.772	4500	0.090	0	0.000	0.500	3.000	870	1.740	2	0.600	8.102
10	गढ़वा	800	0.16	0	0.000	1.00	0.400	302	1.572	4500	0.090	0	0.000	0.500	3.000	695	1.390	2	0.600	7.712
11	देवघर	1000	0.20	2	2.616	1.00	0.400	362	1.872	6000	0.120	0	0.000	0.500	3.000	1800	3.600	2	0.600	12.908
	कुल योग :	10000	2.00	12	15.696	12.00	4.800	3527	18.472	60000	1.200	500	0.750	5.500	33.000	10500	21.000	25	7.500	109.918

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ नौ लाख एकानबे हजार आठ सौ रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-II

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय				विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री									विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे		केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/क्यॉति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपस्कर, जाल आदि	प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, पोस्टर, पम्फलेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुकलेट, डेटा इन्ट्री, डी0पी0आर0, फोटोग्राफी, कन्सलटेन्सी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	रॉंची	900	0.180	2	2.616	2.00	0.800	314	1.694	10500	0.210	100	0.150	0.500	3.000	1345	2.690	2	0.600	**12.440**
2	खूंटी	500	0.100	1	1.308	0.00	0.000	131	0.686	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	920	1.840	2	0.600	**8.094**
3	गुमला	900	0.180	0	0.000	5.00	2.000	253	1.358	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	1025	2.050	2	0.600	**9.748**
4	सिमडेगा	600	0.120	1	1.308	0.50	0.200	191	0.986	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	825	1.650	2	0.600	**8.424**
5	लोहरदगा	600	0.120	1	1.308	1.00	0.400	182	0.972	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	825	1.650	2	0.600	**8.610**
6	लातेहार	700	0.140	0	0.000	1.00	0.400	231	1.186	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	1025	2.050	1	0.300	**7.636**
7	प0 सिंहभूम	800	0.160	1	1.308	2.00	0.800	303	1.608	4500	0.090	100	0.150	0.500	3.000	1025	2.050	2	0.600	**10.266**
8	पूर्वी सिंहभूम	800	0.160	0	0.000	1.00	0.400	254	1.332	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	920	1.840	2	0.600	**7.892**
9	सरायकेला	1000	0.200	3	3.924	1.00	0.400	372	1.922	4500	0.090	150	0.225	0.500	3.000	1100	2.200	2	0.600	**13.061**
10	दुमका	1000	0.200	1	1.308	3.00	1.200	252	1.322	4500	0.090	100	0.150	0.500	3.000	1500	3.000	2	0.600	**11.370**
11	जामताड़ा	800	0.160	1	1.308	3.00	1.200	182	0.972	3000	0.060	50	0.075	0.500	3.000	800	1.600	2	0.600	**9.475**
12	साहेबगंज	800	0.160	0	0.000	1.00	0.400	182	0.972	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	620	1.240	2	0.600	**6.932**
13	पाकुड़	600	0.120	0	0.000	1.00	0.400	172	0.922	3000	0.060	0	0.000	0.500	3.000	650	1.300	2	0.600	**6.902**
14	मत्स्य कि0 प्र0 के0, रॉंची	0	0.000	0	0.000	2.00	0.800	3	0.108	9000	0.180	0	0.000	0.000	2.000	0	0.000	0	0.000	**3.088**
15	स0 म0 नि0 अनु0, रॉंची	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000	5	0.180	0	0.000	0	0.000	0.000	3.000	0	0.000	0	0.000	**3.180**
16	मत्स्य निदेशालय, रॉंची	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4.000	43.500	0	0.000	0	0.000	**47.500**
	कुल योग :	**10000**	**2.000**	**11**	**14.388**	**23.50**	**9.400**	**3027**	**16.220**	**60000**	**1.200**	**500**	**0.750**	**10.500**	**87.500**	**12580**	**25.160**	**25**	**7.500**	**174.618**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ चौहत्तर लाख इकसठ हजार आठ सौ रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

-111-

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डिटा सहित)		मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राँची	350	0.070	0.50	0.200	100	0.500	2000	0.0400	20	0.030	150	0.300	1	0.300	**1.440**
2	खूँटी	200	0.040	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	70	0.140	0	0.000	**0.400**
3	गुमला	200	0.040	0.00	0.000	50	0.250	1000	0.0200	0	0.000	80	0.160	0	0.000	**0.470**
4	सिमडेगा	150	0.030	0.00	0.000	20	0.100	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.250**
5	लोहरदगा	150	0.030	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.250**
6	लातेहार	150	0.030	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	1	0.300	**0.650**
7	प0 सिंहभूम	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	1	0.300	**0.600**
8	पूर्वी सिंहभूम	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	100	0.200	1	0.300	**0.710**
9	सरायकेला	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	2000	0.0400	20	0.030	60	0.120	1	0.300	**0.630**
10	दुमका	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	2000	0.0400	0	0.000	110	0.220	0	0.000	**0.780**
11	जामताड़ा	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	200	0.400	1	0.300	**1.130**
12	साहेबगंज	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.510**
13	पाकुड़	150	0.030	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.310**
14	हजारीबाग	250	0.050	0.50	0.200	70	0.350	2000	0.0400	20	0.030	50	0.100	0	0.000	**0.350**
15	रामगढ़	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	140	0.280	1	0.300	**1.250**
16	कोडरमा	280	0.056	0.00	0.000	50	0.250	1000	0.0200	20	0.030	120	0.240	1	0.300	**0.950**
17	चतरा	180	0.036	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	120	0.240	1	0.300	**0.896**
18	बोकारो	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	2000	0.0400	20	0.030	100	0.200	0	0.000	**0.406**
19	गिरिडीह	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	1000	0.0200	0	0.000	120	0.240	0	0.000	**0.800**
20	धनबाद	250	0.050	0.50	0.200	45	0.225	2000	0.0400	0	0.000	80	0.160	0	0.000	**0.670**
21	गोड्डा	150	0.030	0.00	0.000	45	0.225	1000	0.0200	0	0.000	100	0.200	0	0.000	**0.715**
22	पलामू	250	0.050	0.50	0.200	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.375**
23	गढ़वा	240	0.048	0.00	0.000	20	0.100	1000	0.0200	0	0.000	50	0.100	0	0.000	**0.520**
24	देवघर	250	0.050	0.00	0.000	60	0.300	1000	0.0200	20	0.030	50	0.100	0	0.000	**0.268**
												200	0.400	1	0.300	**1.100**
	कुल योग :	**5000**	**1.000**	**5.00**	**2.000**	**1000**	**5.000**	**30000**	**0.6000**	**120**	**0.180**	**2200**	**4.400**	**10**	**3.00**	**16.180**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 सोलह लाख अठारह हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय													विस्तृत शीर्ष-03 -प्रशासनिक व्यय- 23- आपूर्ति एवं सामग्री (वि0ल0 लाख रू0 में)		वित्तीय योग (लाख रू0 में)
		मत्स्य बीज उत्पादकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का 03 दिवसीय कार्यशाला (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				05 दिवसीय प्रशिक्षण/विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				राज्य में/ राज्य के बाहर अन्य संस्थानो में प्रशिक्षण-सह-स्थल भ्रमण (वि0ल0 लाख रू0 में)			
		101-अन्तर्देशीय मछली पालन	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101-अन्तर्देशीय मछली पालन	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101-अन्तर्देशीय मछली पालन	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	120	25	**145**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2	खूँटी	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	गुमला	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
4	सिमडेगा	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
5	लोहरदगा	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
6	लातेहार	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	प0 सिंहभूम	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	120	15	**135**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8	पूर्वी सिंहभूम	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	सरायकेला	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	120	25	**145**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	दुमका	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	150	25	**175**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	जामताड़ा	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12	साहेबगंज	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
13	पाकुड़	0	85	15	**100**	0	85	15	**100**	0	80	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
14	हजारीबाग	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	120	0	25	**145**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
15	रामगढ़	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
16	कोडरमा	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	100	0	15	**115**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
17	चतरा	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
18	बोकारो	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	100	0	15	**115**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
19	गिरिडीह	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20	धनबाद	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	100	0	15	**115**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21	गोड्डा	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	पलामू	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
23	गढ़वा	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	80	0	15	**95**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
24	देवघर	85	0	15	**100**	85	0	15	**100**	200	0	15	**215**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	योग : भौतिक लक्ष्य	935	1105	360	**2400**	935	1105	360	**2400**	1100	1230	400	**2730**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	म0कि0प्र0के0 का वि0ल0 (लाख रू0 में)	2.1038	2.4863	0.8100	**5.4000**	11.4538	13.5363	4.4100	**29.4000**	18.7000	20.9100	6.8000	**46.4100**	**15.0000**	**4.8800**	**4.4800**	**105.5700**
	योग : वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	**2.1038**	**2.4863**	**0.8100**	**5.4000**	**11.4538**	**13.5363**	**4.4100**	**29.4000**	**18.7000**	**20.9100**	**6.8000**	**46.4100**	**15.0000**	**4.8800**	**4.4800**	**105.5700**

नोट :- कर्णाकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ पाँच लाख सन्तावन हजार रू0 मात्र)

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1 म0कि0 प्र0के0	2 अनुसंधान	3 जमशेदपुर	4 हजारीबाग	5 बोकारो	6 देवघर	7 दुमका	8 धनबाद	9 राँची	10 मत्स्य निदेशालय	कुल वित्तीय योग (लाख रू0 में)
क	**लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन**											
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**											
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि0ग्रा0 पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	0	0	10	10	10	0	10	0	0	40
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	2000
10	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:	**12.00**	**17.00**	**0.00**	**2.50**	**2.50**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**38.00**
ख	**लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**											
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**											
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	30	20	0	0	0	0	0	0	0	50
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	10	0	0	0	10	0	0	0	40
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000	0	3000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50
8	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	उप योग	**2.50**	**9.00**	**6.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**20.50**
ii	**विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय**											
9	आई.टी. बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**7.00**
iii	**विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय**											
10	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:	**2.50**	**16.50**	**9.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.50**	**2.00**	**32.50**
ग	**लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना**											
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**											
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	20
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	20
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	**0.00**	**3.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.00**
	कुल योग	**14.50**	**37.00**	**11.50**	**2.50**	**2.50**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**0.50**	**2.00**	**76.50**

(मो0 छिहत्तर लाख पचास हजार रू0 मात्र)

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव